

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 01/11/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में 01/11/2022 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुबह 11:30 बजे आयोजित नोएडा एसईजेड अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री नितिन गुप्ता, उप. विकास आयुक्त, एनएसईजेड (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)।
2. श्री सुनील त्रिपाठी, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती पोम्पी दास, एसीआई, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी (DGFT), कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री विवेक कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (ii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iii) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड, (iv) सत्य विजय वर्मा, एईई (AEE), यूपीपीसीबी (UPPCB), नोएडा और (v) राजीव कुमार, जेई (JE), यूपीपीसीएल (UPPCL), नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय

(1) 04/10/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

यह सूचित किया गया कि दिनांक 04/10/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने इसे नोट किया और तदनुसार, 04/10/2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

(2) सुप्राईस प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना।

2.1 अनुमोदन समिति के समक्ष प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री प्रवीण कुमार उपस्थित हुए और प्रस्ताव को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि निदेशकों की एनएसईजेड में एक और इकाई भी है जिसका नाम मेसर्स एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड है। अनुमोदन समिति ने देखा कि आवेदन में कुछ कमियां देखी गई हैं।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "(i) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) परामर्श और सहायता सेवाओं (एसएसी: 998313); (ii) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) डिजाइन और विकास सेवाएं (एसएसी: 998314); (iii) होस्टिंग और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारभूत संरचना प्रावधान सेवाएं (एसएसी: 998315); (iv) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारभूत संरचना और नेटवर्क प्रबंधन सेवाएं (एसएसी: 998316) " के एनएसईजेड में इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह मंजूरी कमियों के सुधार और आवेदन में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन हैं।

(3) रैम्पो सीस प्राइवेट लिमिटेड - NSEZ में एक नई इकाई की स्थापना।

3.1 श्री मुकेश शर्मा, निदेशक, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि रैम्पो सीस प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक एक अन्य NSEZ इकाई अर्थात् मेसर्स क्यू ए इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं। श्री शर्मा ने बताया कि उन्होंने फरवरी 2021 में मेसर्स क्यू ए इन्फोटेक छोड़ दिया है। अनुमोदन समिति ने पाया कि इस संबंध में कोई सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है। मौजूदा एनएसईजेड (NSEZ) इकाई के निदेशकों/प्रवर्तकों में परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रस्तुत न करने पर अनुमोदन ने समिति गंभीर चिंता व्यक्त की।

3.2 अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि आवेदन में कुछ कमियां हैं।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सॉफ्टवेयर विकास और आईटी सेवाओं के लिए एनएसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह मंजूरी " कमियों के सुधार और आवेदन में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन हैं।

(4) मॉडर्न इन्सेक्टिसिडेस लिमिटेड - एनएसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना।

4.1 श्री चरणजीत सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके प्रस्ताव को समझाया। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई का एक ईओयू (EOU) भी है।

4.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित मदों के संबंध में आवेदन में स्पष्टता का अभाव है। समिति ने कच्चे माल, मध्यवर्ती, पूंजीगत सामान आदि के विवरण और विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड की मांग की, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया, इकाई टेम्पलेट के अनुसार देगी। इकाई एचएस कोड और अंतिम निर्यात किए गए उत्पाद का विवरण भी प्रदान करेगी। इसके अलावा, आवेदन में कई अन्य कमियां देखी गई हैं।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक को एक स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ-साथ कमियों के सुधार और प्रासंगिक दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि मामले में आगे विचार करने के लिए इकाई एक निर्धारित प्रारूप में एक प्रक्रिया प्रवाह चार्ट प्रस्तुत करेगी।

(5) माया क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

5.1 श्री बॉबी वर्मा, निदेशक और श्री अजय दुबे, कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री दुबे ने बताया कि उन्होंने सोने के सादे आभूषण के संबंध में निर्धारित मूल्यवर्धन मानदंड हासिल किए हैं जबकि जड़े हुए सोने के आभूषणों के संबंध में यह थोड़ा कम है।

5.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत एपीआर (APR) के आधार पर पिछली ब्लॉक अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और उपरोक्त अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) आय प्राप्त की उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2021 को कोई निर्यात आय प्राप्त लंबित नहीं दिखाई गई है। अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार मूल्यवर्धन उपलब्धि में कमी को भी नोट किया।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को निर्धारित मूल्यवर्धन में कमी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को एलओए (LOA) के नवीनीकरण के लिए अपेक्षित निर्णय लेने का भी अधिकार दिया।

(6) एम आर यूटिलिटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 श्री रमेश वाधवा, निदेशक और श्री प्रदीप देबनाथ, प्रतिनिधि, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री देबनाथ ने बताया कि वे अन्य एसईजेड इकाई अर्थात् मेसर्स ग्लोबल डेंट एड्स प्राइवेट लिमिटेड को डीमंड निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि चूंकि सभी बिक्री लेनदेन एक ही एसईजेड (SEZ) के भीतर किए गए थे, इसलिए उन्होंने कोई शिपिंग बिल दाखिल नहीं किया था, जिसके कारण एनएसडीएल (NSDL) आंकड़े शून्य हैं। हालाँकि, अब उन्होंने एसईजेड ऑनलाइन (SEZonline) प्रणाली पर लेनदेन दर्ज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया है।

6.2 अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और एपीआर (APR) के आंकड़ों के बीच कुछ भिन्नता हैं।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पांच साल के चौथे ब्लॉक की शेष अवधि 20/05/2027 तक के लिए एलओए (LOA) को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया और इकाई को आंतरिक एसईजेड (SEZ) सहित सभी लेनदेन को एसईजेड ऑनलाइन (SEZonline) प्रणाली में दाखिल करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को एपीआर (APR) के और स्वयं प्रस्तुत आंकड़ों में अंतर के कारण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और प्रदर्शन की निगरानी के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

(7) टिनियस ऑलसेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - प्रदर्शन की निगरानी।

7.1 अनुमोदन समिति ने 31.03.2021 तक प्रस्तुत एपीआर (APR) के आधार पर पांच वर्षों के दूसरे ब्लॉक के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और उक्त अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2021 को कोई निर्यात आय प्राप्त लंबित नहीं दिखाई गई है।

7.2 अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि वर्ष 2021-22 के लिए एपीआर (APR) अभी भी प्रतीक्षित है और इकाई को इसे तुरंत जमा करने का निर्देश दिया। समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की।

(8) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड - प्लॉट नंबर 4 और 5, एनएसईजेड को मेसर्स एक्वा पूल एंड स्पा को ट्रांसफर करने का अनुरोध।

8.1 मैसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा के मालिक श्री विनय गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) से कोई उपपस्थित नहीं हुआ था। अनुमोदन समिति ने पाया कि मैसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा के एलओए (LOA) की वैधता 06/06/2014 को समाप्त हो गई थी और इकाई ने विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया था।

8.2 श्री गुप्ता ने कहा कि एलओए (LOA) के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि माननीय न्यायालय ने दिनांक 05.11.2014 के अंतरिम आदेश के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, जो आदेश दिनांक 30.10.2019 से दोहराया गया था।

8.3 अनुमोदन समिति ने मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की जैसे कि नियम 74ए को शामिल करने से पहले लेनदेन पूरा किया गया था और नियम 74ए के वास्तविक प्रावधान। इन पर विचार-विमर्श करने और प्राप्त कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए, समिति को टीसीएस (TCS) द्वारा संपत्ति को एक्वा पूल्स एंड स्पा में स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- (i) दो SEZ इकाइयाँ परस्पर सभी कानूनी कार्यवाही का निपटारा करेंगी और माननीय न्यायालय याचिका को वापस लेने की मंजूरी देंगे
- (ii) दोनों इकाइयां किसी भी दायित्व से विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय की क्षतिपूर्ति करते हुए 100/- रुपये के कागजी मोहर (Stamp paper) पर विधिवत नोटरीकृत कानूनी उपक्रम देगी।
- (iii) स्थानांतरण शुल्क का भुगतान वर्तमान दर पर किया जाता है।
- (iv) मैसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा इस कार्यालय से 06/06/2014 के बाद एलओए (LOA) विस्तार के लिए आवेदन नहीं करने के लिए विस्तृत कारण प्रस्तुत करेंगे।

8.4 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को इन शर्तों पर स्थगित कर दिया कि इकाइयां पैरा 8.3 में दर्शाया गये समझौते की प्रति, मामले को वापस लेने का *विवरण/भुगतान जैसे दस्तावेज* प्रस्तुत करें। अनुमोदन समिति ने आगे विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को इस मुद्दे पर कानूनी राय सहित फाइल पर निर्णय लेने का निर्देश दिया कि क्या पहले दिए गए एलओए (LOA) को पुनर्जीवित किया जाए या नया एलओए दिया जाए।

(9) कम्पलीट सर्वेइंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-1) -नियम 74ए के अनुसार प्लॉट नंबर 129जी/45, एनएसईजेड से मैसर्स सांवरे एफटीडब्ल्यूजेड सर्विसेज को भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों का निकास और हस्तांतरण।

9.1 मैसर्स कम्पलीट सर्वेइंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री विश्ववानी पुरी और मेसर्स सांवरे एफटीडब्ल्यूजेड सर्विसेज के मालिक श्री दीपक मित्तल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को समझाया। श्री पुरी ने बताया कि वे एसईजेड से सभी परिचालन बंद कर रहे हैं।

9.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से और नियत समय के बाद चर्चा की विचार-विमर्श में एसईजेड योजना से बाहर निकलने के लिए मैसर्स कम्पलीट सर्वेइंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-1) के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दिया और प्लॉट नंबर 129जी/45 एनएसईजेड में अपनी संपत्ति और देनदारियों को मेसर्स सांवरे एफटीडब्ल्यूजेड सर्विसेज को हस्तांतरित किया। यह मंजूरी SEZ नियम 2006 के नियम 74A की शर्तों के अधीन हैं जैसे (i) मेसर्स कम्पलीट सर्वेइंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-1) द्वारा निकास औपचारिकताओं की पूर्ति और (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान।

(10) क्यूए इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड- प्लॉट नंबर 190, एनएसईजेड में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए अंतरिती के परिवर्तन का अनुरोध।

10.1 इकाई से श्री पंकज मदान बैठक में उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने पाया कि फरवरी 2021 में इकाई के निदेशकों/प्रवर्तकों में परिवर्तन किया गया था। हालांकि, इस संबंध में कोई जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है। मौजूदा एनएसईजेड इकाई के निदेशकों/प्रवर्तकों में परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रस्तुत न करने पर अनुमोदन समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त की।

10.2 श्री मदन ने इसकी सूचना न देने के लिए खेद व्यक्त किया और सभी विवरण तत्काल प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

10.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और इकाई को निर्देश दिया कि पहले मेसर्स क्यूए इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों / प्रवर्तक / शेयरधारकों में परिवर्तन से संबंधित पूरी जानकारी प्रस्तुत करें।

(11) सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड - प्लॉट नंबर 129जी/64, एनएसईजेड से मेसर्स सांवरे एफटीडब्ल्यूजेड सर्विसेज 2006 को संपत्ति और देनदारियों से बाहर निकलने और हस्तांतरण के अनुरोध को वापस लेना।

11.1 श्री अरुण मल्होत्रा, निदेशक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। हालांकि, कुछ तकनीकी/नेटवर्क समस्या (कोई आवाज नहीं) के कारण वह अनुमोदन समिति से नहीं जुड़ सके।

11.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने इस कार्यालय पत्र दिनांक 27/09/2022 के अनुसार अपने पहले निर्देशों जैसे अद्यतन एचएस कोड (एचएस 2022 नामकरण में), नाम, पदनाम के साथ इकाई के पुनरुद्धार के लिए ठोस व्यवसाय योजना प्रस्तुत करना और बोर्ड संकल्प (हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में और एसईजेड नियम 74ए के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय) उनके पत्र दिनांक 04/08/2022 आदि का पालन नहीं किया है।

11.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इस कार्यालय पत्र दिनांक 27/09/2022 के अनुसार विवरण/सूचना प्रस्तुत करने के लिए इकाई को निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया।

(12) विभिन्न इकाइयों के एलओए (LOA) के तहत अनुमत अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतन के लिए दी गई अनुमति के अनुसमर्थन से संबंधित प्रस्ताव।

12.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एलओए के तहत अनुमत अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतन के लिए दी गई निम्नलिखित अनुमति की पुष्टि की:

क्र.सं.	इकाई का नाम	जारी पत्र दिनांक
1.	डिवाइन मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड	19/09/2022
2.	निटप्रो इंटरनेशनल (यूनिट- II)	27/09/2022
3.	अर्दिति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	06/10/2022

(13) निटप्रो इंटरनेशनल (यूनिट-द्वितीय) - (i) एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना और (ii) निर्यात बाजार के साथ-साथ डीटीए (DTA) बाजार के लिए मौजूदा अधिकृत संचालन जैसे " उपकरण डाइज, गेज, जिग्स और जुड़नार, यंत्र पुर्जे, विशेष प्रयोजन यंत्र का निर्माण (एसपीएम), बाजार के साथ-साथ डीटीए बाजार को निर्यात करने के लिए मशीन घटक और उसके हिस्से"।

13.1 श्री शिरीष जैन, भागीदार, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि वे इंजीनियरिंग क्षेत्र में चिकित्सा उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, खेल के सामान उद्योग और अन्य उद्योगों में उपयोग की जाने वाली मिश्रित सामग्री का निर्माण शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विमानन क्षेत्र के संबंध में, वे वर्तमान में एचएस कोड 88040020, 88071000, 88079000 के तहत विशेष रूप से उत्पादों की तलाश कर रहे हैं।

13.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

(i) अनुमोदन समिति ने आईटीसी (एचएस) कोड अर्थात् 89011030, 89011090, 88010090, 88062900 और 88069900 को छोड़कर उनके द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूनिट एचएस 55031190 के तहत उत्पाद के लिए सही एचएस कोड भी प्रस्तुत करेगी।

(ii) अनुमोदन समिति ने निर्देश दिया कि प्रत्येक आपूर्ति इकाई के लिए 88040020, 88071000 और 88079000 के तहत मदों के संबंध में क्रेता को उस माल के निर्माण की अनुमति देने वाले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उपरोक्त मदों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाएगा।

(iii) अनुमोदन समिति ने मौजूदा वस्तुओं जैसे "3 उपकरण और डाई गेज जिग्स और फिक्सचर मशीन पुर्जों, विशेष प्रयोजन मशीनों (एसपीएम) मशीन घटकों और उसके पुर्जों के निर्यात और डीटीए (DTA) बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस अनुमति के तहत निम्नलिखित शर्त "विशेष रूप से एनएसईजेड में अपनी इकाइयों में इसका उपयोग करने के लिए और महिंद्रा वर्ल्डसिटी एसईजेड, जयपुर में अपनी इकाई को आपूर्ति करने के लिए भी" हटाया जायेगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(नितिन गुप्ता)
उप. विकास आयुक्त

(ए बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त